दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

अदालत से

बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) सुमित प्रेमी की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार, 21 दिसंबर 2022 को तुलसीपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दयालीपुर निवासी मुहम्मद शाहिद ने उसकी 26 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। तहरीर के आधार पर तुलसीपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी मुहम्मद शाहिद को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।